ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(3): 827-831
www.allresearchjournal.com
Received: 07-01-2017
Accepted: 08-02-2017

डॉ.उत्तम पटेल
एसोसिएट प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री वनराज आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज, धरमपुर, जिला.वलसाड, गुजरात

Correspondence
डॉ.उत्तम पटेल
एसोसिएट प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री वनराज आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज, धरमपुर, जिला.वलसाड, गुजरात

प्रयोजनमूलक हिंदी और उसकी प्रयुक्तियाँ

डॉ.उत्तम पटेल

सारांश
जिस हिंदी के प्रयोग से हमें रोजी-रोटी मिले, वह प्रयोजनमूलक हिंदी है। हिंदी का यह वर्तमान व आधुनिक रूप है। प्राचीन हिंदी का रूप बोलचाल व साहित्य तक ही सीमित था। जब कि आज की यह प्रयोजनमूलक हिंदी अपनी अलग-अलग प्रयुक्तियों के द्वारा से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति माध्यम बन गई है। जिसका सबसे प्रचलित रूप विज्ञापनों में देखने मिलता है।

कूट शब्दः व्यवहारिक प्रयोजनमूलक Functional, भाषा-प्रयुक्ति

प्रस्तावना

1. प्रयोजनमूलक हिंदी का नामकरण

प्रयोजनमूलक हिंदी वास्तव में यह अंग्रेजी के Functional Language[1] का हिंदी रूपांतर है। इसे व्यावहारिक, कार्यालयी, प्रशासनिक हिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। डॉ. रमा प्रसन्न नायक इसे ''व्यावहारिक हिंदी'[2] कहते हैं। जबकि डॉ. नगेन्द्र और डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा इसके लिए प्रयोजनमूलक शब्द ही योग्य मानते हैं क्योंकि यह नाम सारयुक्त व अर्थगर्भित है। वैसे तो प्रयोजनमूलक नाम से ऐसा भी प्रतीत होता है कि हिंदी का अप्रयोजनमूलक रूप भी होगा। किन्तु डॉ. नगेन्द्र हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप के अतिरिक्त रूप को अप्रयोजन या निष्प्रोजनमूलक न मानकर उसे आनंदमूलक मानते हैं।[3] जब कि डॉ. दंगल झालटे का मत है कि "Functional शब्द से प्रयोजमनमूलक या व्यवहारिक संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके विपरीत व्यवहारिक, प्रयुक्त, अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक-प्रकारान्तर से प्रयोजनमूलक संकल्पना को अग्रेजी शब्द अप्पलाइड (Applied) सर्वाधिक सटीक और स्पष्ट करता है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी संकल्पना को अंग्रेजी के Functional Hindi की बजाय Applied Hindi के पर्याय रूप में ग्रहण किया जाना उचित और अत्यधिक उपयोगी होगा।"[4] डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा का इस संदर्भ में मत है-"निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज नहीं है लेकिन प्रयोजनमूलक विशेषण उसके व्यावहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया।"[5] डॉ. विनोद गोदरे के मतानुसार- "प्रयोजनमूलक हिंदी का सम्प्रेषण अधिक संदर्भ-संगत, अर्थगर्भित, लक्ष्यभेदी, स्पष्ट तथा सरल है।"[6]

मोटूरि सत्यनाराण का मत है कि "जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है।"[7] डॉ.माया सिंह और डॉ. सिद्धेश्वर कश्यप का मानना है कि "प्रयोजनमूलक हिंदी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसमें सौंदर्यपरकता, आत्मकेन्द्रीयता और आत्मसुख का अभाव होता है। यह जीवन की व्यवस्था से जुड़ी होती है।" इस प्रकार "प्रयोजनमूलक भाषा, भाषा का वह रूप है, जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है।"[8] प्रयोजनमूलक हिंदी वह है जो हमारे सामान्य व्यवहार के अतिरिक्त हमें रोजी-रोटी, विशिष्ट ज्ञान एवम् राज-काज के कार्यों के विशिष्ट उद्देशों में सहायक होती हैं। "प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ ही है विभिन्न सामाजिक प्रयोजनों के लिए भाषा का अनुप्रयोग।"[9]

प्रयोग के आधार पर भाषा के दो स्वरूप स्पष्ट लक्षित होते हैं - १.सामान्य रूप - जिसका प्रयोग सामान्य रूप से दैनिक-कार्यों में होता है और २. विशिष्ट रूप - जिसका प्रयोग सामान्य रूप से दैनिक-कार्यों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्यों में होता है। और यह विशिष्ट रूप को ही हम प्रयोजनमूलक कहते हैं। डॉ. विनोद गोदरे के शब्दों में - "जीवन-जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक-व्यवहार उच्च शिक्षा, तंत्र तथा जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवम् सम्प्रेषण कौशल से समाज-सापेक्ष व्यावहारिक प्रयोजनों की सम्पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जा सकता है।" [10]

2. प्रयोजनमूलक हिंदी और उसके प्रयोगात्मक क्षेत्र

स्थितियों परिस्थितियों के संदर्भ में भाषा के जो भेद उभरते हैं उन्हें भी प्रयुक्ति कहा जाता है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेष प्रयोजन के लिए भाषा-प्रयोग में जो वैविध्य दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे विशिष्ट प्रयोजन की भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार भाषा के प्रयोजन पर आधारित प्रयोग को प्रयुक्ति कहते हैं। कमल कुमार बोस के मतानुसार "प्रयोजन के अनुसार भाषा में जो विभिन्न भेद पाये जाते हैं, उनके संदर्भगत तथा विषयगत प्रयोग-पद्धति को प्रयुक्ति कहते हैं।"[11] यही प्रयुक्तियाँ भाषा के यथार्थ रूप हैं। इस प्रकार भिन्न कार्य-क्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रयुक्ति कहा जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिंदी के निम्नलिखित रूप बताये हैं-

१.बोलचाल की हिंदी सामान्य अर्थ में हिंदी से अभिप्राय है हिंदी भाषी क्षेत्र-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश की बोल-चाल की भाषा।

२.व्यापारी हिंदी वाणिज्य-व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी सालों से मंडियों, सर्राफे, दलालों, झवेरियों, शेयर-सट्टा बाजार, लेन-देन, क्रय-विक्रय, विनिमय आदि की भाषा के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती रही है।

३. कार्यालयी हिंदी जो विभागों एवम् मंत्रालयों के आधार पर विविध कार्यों का संपादन करती है।

४. शास्त्रीय हिंदी इसमें काव्यशास्त्र, भाषाशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, विधिशास्त्र,संगीतशास्त्र आदि की भाषाएँ प्रयुक्त होती हैं।

५. तकनीकी हिंदी इसके रूप में हिंदी यांत्रिकता, विज्ञान, इंजिनियरी, असैनिक आदि के रेखांकन तथा मूल्यांकन की माध्यम भाषा का कार्य करती है।

६. समाजी हिंदी इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सामाजिक करते हैं।

७. साहित्यिक हिंदी इसका प्रयोग कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में होता है। जिसकी भाषा में पर्याप्त अंतर होता है।

८. प्रशासनिक हिंदीः पुलिस, सेना, विधि-व्यवस्था के निर्माण में प्रयोजनमूलक हिंदी सक्षम है। और इनके कार्य को संपादित करने का माध्यम बनकर लक्ष्य की पूर्ति करती है।

९. जन-संचार माध्मय की हिंदी रेडियो, टेलिविजन, पत्रकारिता, विज्ञापन आदि संचार माध्यमों की हिंदी उपर्युक्त सभी प्रकार की शब्दावलियों को विषय के संदर्भ में स्वीकार करती है।

भाषा वैज्ञानिक हेलिडे ने प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति के मुख्य तीन पहलु माने हैं-

१.वार्ता-क्षेत्रः इसमें यह देखा जाता है कि भाषा का प्रयोग किस विषय में किया जा रहा है। अर्थात् विषय-क्षेत्र के द्वारा भी प्रयुक्तियों का निर्माण और निर्धारण होता है। जैसे, कार्यालय, वाणिज्य, विज्ञान, इंजिनियरी, पत्रकारिता आदि में प्रयुक्त शब्द मूलतः विषयाश्रित होते हैं।

२. वार्ता-प्रकारः इसमें यह देखा जाता है कि भाषा का प्रयोग मौखिक रूप में किया गया है या लिखित रूप में। इन दोनों रूपों में अंतर होता है। आम व्यवहार की भाषा मौखिक होती है जो सुव्यवस्थित नहीं होती। जबकि लिखित भाषा व्यवस्थित व परिनिष्ठित होती है। कार्यालयी और तकनीकी भाषा लिखित होती है तो आकाशवाणी एवम् दूरदर्शन की भाषा लिखित ही होती है किन्तु उसका पठित या मौखिक रूप ही सामने आता है।

३. वार्ता-शैलीः आपसी संबंधों के आधार पर भी भाषा के रूप बदलते रहते हैं। जैसे, शिक्षक-विद्यार्थी के बीच, वकील और असील के बीच, यजमान और अतिथि के बीच। इस दृष्टि से भाषा की पाँच शैलियाँ मानी गई हैं- १. परंपरागत २. औपचारिक ३.सामान्य ४. अनौपचारिक और ५. अंतरण।

3. हिंदी भाषा की प्रयोजनमूलक प्रयुक्तियाँ

१. साहित्यिक प्रयुक्तिः हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयुक्ति साहित्यिक है। हिंदी की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा लगभग एक हजार साल पुरानी है। हिंदी साहित्य का इतिहास इसका प्रमाण है। जो हिंदी साहित्य के साथ-साथ हिंदी भाषा के विकास -प्राचीन हिदी, मैथिली, संधा, सधुक्कडी, अवधी, ब्रज, खडबोली - को क्रम बद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। हिंदी की साहित्यिक प्रयुक्ति ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, आलोचना आदि विधाओं को उनकी समस्त विशेषताओं एवम् मर्यादाओं के साथ समेटा है। भारतीय आर्य एवम् अनार्य तथा विश्व की अनेक भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करके युग-बोध एवम् युग-चेतना को गहराई से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से हिंदी की साहित्यिक प्रयुक्ति विशाल, उदार एवम् गतिशील है। कुछ विद्वान इसे प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति नहीं मानते हैं।

२. वाणिज्य प्रयुक्तिः इस प्रयुक्ति के अंतर्गत वाणिज्य-व्यापार, व्यवसाय, मंडियों, शेयर बाज़ार, झवेरी बाजार, बीमा निगम, बैंक, ऋण, विपणन, यातायात, आयात-निर्यात, थोक एवम् खुदरा व्यापार आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। वाणिज्यिक हिंदी के अंतर्गत उन सभी रूपों की गणना करनी होगी जिनका संबंध उत्पादन की प्रस्तुति, वितरण, क्रय-विक्रय, विज्ञापन और आर्थिक संचरण से है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा आम बोल-चाल की तथा साहित्यिक भाषा से भिन्न नीरस व सपाट होती है। जैसे- चाँदी में उछाल, डॉलर के मुकाबले रूपए की तेजी, सूचकांक ३८०० अंक पार करके नीचे आया, एचपीसीएल का लाभ बढ़ा, तेल की धार ऊँची, दाल नरम, मिर्च तेज, आदि वाक्यांश इस प्रयुक्ति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रयुक्ति का क्षेत्र काफी विस्तृत एवम् लोकप्रिय है।

३. कार्यालयी प्रयुक्तिः प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। सरकार को आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सुरक्षात्मक आदि अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना पड़ता है। ये सब इकाईयाँ प्रशासन की हैं। हिंदी राजभाषा है। राजभाषा की कार्यालयी प्रयुक्ति विशेष महत्वपूर्ण होती है। हिंदी की कार्यालयी प्रयुक्ति का रूप बोल-चाल व साहित्यिक भाषा से भिन्न होता है। साहित्यिक भाषा की तरह यह आलंकारिक, लाक्षणिक या व्यंजना-प्रधान न होकर स्पष्ट और अभिधा-प्रधान होती है। यह द्वि-अर्थी या अनेकार्थी नहीं होनी चाहिए। इसमें शब्द का अर्थ स्पष्ट लक्षित होना चाहिये। इसमें जो कुछ भी कहा जाये वह नियत शब्दावली के भीतर कहा जाता है। यह

नीरस व सीधी होती है। कार्यालयी प्रयुक्ति की भाषा में निर्वैयक्तिकता, संपूर्णता एवम् स्पष्टता, पूर्वग्रह-रहितता, असंदिग्धता व वर्णनात्मकता के गुण होने चाहिये। हिंदी की प्रस्तुत प्रयुक्ति मसौदा और टिप्पणी लेखन, प्रशासकीय पत्र-लेखन, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद तथा अन्य कार्यालयी कार्यों के लिए उपयोगी है।

४. राजभाषा प्रयुक्तिः १४, सितम्बर, १९४९ के दिन हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। वही भाषा राजभाषा के सिहासन पर आसीन हो सकती है जो विधान-मंडल, शासन, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के लिए उपयुक्त हो। राजभाषा का संबंध प्रशासनिक कार्य-प्रणाली के संचालन से होता है, इस लिए स्वाभाविक है कि राजभाषा बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, कर्मचारियों तथा शिक्षित समाज से जुड़ी होती है। इसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से अधिक होता है। इस प्रकार राजभाषा हिंदी एक प्रयुक्ति के रूप में विकसित होकर हमारे सामने आयी। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, संस्थानों, निगमों, कंपनियों, बैंक, विभिन्न आयोगों एवम् समितियों आदि क्षेत्रों में इस प्रयुक्ति का उपयोग होता है। पारिभाषिक एवम् वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली, अनुवाद, विशिष्ट वाक्य-योजना एवम् वाक्य-रचना इसके मुख्य तत्व हैं। राजभाषा हिंदी की प्रयुक्ति बहुत ही विशाल, उदार और गतिशील है।

५. विज्ञापन भाषा-प्रयुक्तिः आज का युग उपभोक्ता का है। उत्पादित चीज-वस्तुओं की बिक्री तब होगी जब उपभोक्ता को इसका पता लगे कि ये वस्तुएँ बाजार में आ गयी हैं। इस प्रकार उत्पादक प्रतिष्ठान अपने उत्पादन की बिक्री के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं। जबकि सरकार विज्ञापन का सहारा महत्वपूर्ण सूचना देने या लोगों में जागृति लाने हेतु लेती है। उपभोक्ता को उनके उत्पादन का पता मीडिया या जनसंचार के विविध रूपों में प्रसारित विज्ञापनों से लगता है। ये विज्ञापन दृश्य-श्राव्य व लिखित रूप में होते हैं। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले विज्ञापन श्राव्य, दूरदर्शन या अन्य टी.वी.चैनल तथा सिनेमा से प्रसारित होने वाले विज्ञापन दृश्य-श्राव्य, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन पाठ्य तो इंटरनेट से प्रसारित होने वाले विज्ञापन दृश्य-पाठ्य होते हैं। इन्हीं विज्ञापनों के द्वारा उत्पादक कम्पनी विक्रय में वृद्धि करती हैं। यही कारण है कि टी.वी. देखनेवाला व्यक्ति ब्रेक के बाद दर्शक से ग्राहक बन जाता है। ये विज्ञापन उत्पादक प्रतिष्ठान के प्रति उपभोक्ताओं तथा जनता में रुचि व विश्वास पैदा करते हैं। प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के रूप में विज्ञापन की भाषा बहुत तेजी से उभरी है। हमारे देश की अधिकतर जनता हिंदी समझती है अतः विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की इस प्रयुक्ति का तेजी से विस्तार हो रहा है। विज्ञापनी भाषा का मुख्य आधार आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं। विज्ञापन मुख्य रूप से श्राव्य तो होते हैं। आकर्षक वाक्य-विन्यास, शब्दों का सार्थक चयन तथा प्रवाहमयी भाषिक संरचना इसके मुख्य तत्व हैं। विज्ञापन की भाषा का संबंध मूलतः व्यापार से है। अतः उसमें आकर्षक, मोहक, लहज़ेदार भाषा-शैली, कर्णप्रियता, सुपाठ्यता, संक्षिप्तता, सांकेतिकता, नाटकीयता आदि गुण होने चाहिये। जैसे, १. अन्तर्राष्ट्रीय डिजाइन्स, भारतीय कीमत, २. अधिक शक्ति, अधिक आराम, अधिक किफायत (समाचार-पत्र), ३. थोड़ा और चलेगा, ४. ठण्डा-ठण्डा कूल-कूल, ५. ये अंदर वाली बात है (रेडियो-टी.वी.)। विज्ञापन की भाषा इतनी सक्षम होनी चाहिये की वह जनसंचार के अलग-अलग माध्यमों से (दृश्य, श्राव्य या पाठ के द्वारा) प्रसारित होने पर भी एक जैसा संदेश दे। यही कारण है कि एक ही विज्ञापन अलग-अलग माध्यमों से दृश्य, श्राव्य या पाठ्य के रूप में प्रसारित या प्रकाशित किये जाते हैं। विज्ञापन की भाषा का विशिष्ट रूप सरकारी प्रयुक्ति के रूप में विकसित हो गया है।

६. विधि एवम् कानूनी भाषा-प्रयुक्तिः विधि या कानून या न्यायपालिका की हिंदी अनुवाद पर आधारित होती है। इसका कारण न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रभुत्व है। किन्तु अनुवाद तथा विधि-शब्दावली निर्माण के कारण इस प्रयुक्ति के लिए हिंदी सक्षम होती जा रही है। भाषा की प्रस्तुत प्रयुक्ति का संबंध कानूनी-प्रक्रिया एवम् न्यायालयों

से होने के कारण यह आम जनता के लिए दुरूह, जटिल और नीरस होती है। फिर भी विधि एवम् कानून के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप को महत्व दिया जा रहा है। हिंदी के इस रूप में तकनीकी शब्दावली, लम्बे वाक्य, कानूनी-प्रक्रिया से जुड़े शब्दों का प्रयोग देखने मिलता है।

७. वैज्ञानिक एवम् तकनीकी भाषा-प्रयुक्तिः इस प्रयुक्ति का संबंध विज्ञान एवम् तकनीकी शब्दावली से है। जिसका प्रयोग विज्ञान एवम् टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में होता है, जो वैज्ञानिक एवम् तकनीकी हिंदी कहलाता है। हिंदी की प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति का यह नया रूप है। १९६१ ई.स.में वैज्ञानिक एवम् तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने इन विषयों संबंधित शब्दावलियों एवम् कोशों का निर्माण किया। जिसके कारण इस प्रयुक्ति का अधिक ठोस रूप से विकास हुआ। विज्ञान की भाषा स्पष्ट, गठित व तर्कसंगत होनी चाहिये। विज्ञान और तकनीकी की भाषा का रूप सामान्य भाषा से भिन्न होता है। इसमें विशिष्ट सूत्रों एवम् पदार्थों को पारिभाषिक अर्थों में अभिव्यक्त किया जाता है। ये अनेकार्थी नहीं होने चाहिये। हिंदी ने इसके लिए तत्सम् तथा विदेशी शब्दों का स्वीकार कर अपने शब्द-भंडार को समृद्ध किया है। इसके कारण ही हिंदी में आज विज्ञान, गणित, विधि, अंतरिक्ष, दूरसंचार, टेकनोलॉजी, मेडीकल से संबंधित पुस्तकों का लेखन-निर्माण हो रहा है।

निष्कर्षः प्रयोजनमूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी, फंक्शनल हिंदी या अप्पलाइड हिंदी के नाम से जाना जाता है। इस हिंदी का मुख्य प्रयोजन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसका प्रयोग कार्य-विशेष के लिए होता है। इस लिए विशिष्ट प्रयोजन की भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार भिन्न कार्य-क्षेत्रों के लिए हिंदी के जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रयुक्ति कहा जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की सात प्रयुक्तियाँ-साहित्यिक, वाणिज्यिक, कार्यालयी, राजभाषा, विज्ञापन भाषा, विधि एवम् कानूनी भाषा एवम् वैज्ञानिक एवम् तकनीकी भाषा- मानी जाती हैं।

संदर्भ-संकेत

1. तिवारी, बालेन्दु शेखर (संपा.), 1999, प्रयोजनमूलक हिंदी, संजय बुक सेन्टर, वाराणसी, पृ. 2.
2. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, 1975, प्रयोजनमूलक हिंदी, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, पृ.24.
3. वही.पृ.69.
4. झाल्टे, दंगल, 1996, प्रयोजनमूलक हिंदीःसिद्धांत और प्रयोग, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ.40.
5. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, 1975, प्रयोजनमूलक हिंदी, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, पृ.67.
6. गोदरे, विनोद, 2009, प्रयोजनमूलक हिंदी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.12.
7. वही.पृ.21.
8. राजगोपालालन, न.वी.,1980, प्रयोजनमूलक हिंदी और शिक्षण सामग्री की समस्याएँ, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, पृ.129
9. पाण्डेय, लक्ष्मीकांत एवम् अवस्थी, प्रमिला, 2006, ज्ञानोदय प्रकाशन, कानपुर,पृ.11.
10. गोदरे, विनोद, 2009, प्रयोजनमूलक हिंदी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.13.
11. बोस, कमलकुमार, 2000, प्रयोजनमूलक हिंदी, हिंदी बुक सेन्टर, दिल्ली, पृ.34.